

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)
पीठासीन अधिकारी श्री कमल कुमार मीना R.A.S

मिसल नं०
77/प्रा०पत्र/2020

तारीख दायर
13.11.2020

तारीख फैसल
06.01.2021

बजरंग लाल आ० धन्ना जाति गुर्जर निवासी ग्राम जाल की झौपड़िया तहसील तालेड़ा जिला बून्दी
(राज०)

बनाम

.....प्रार्थी

राजस्थान राज्य जयें तहसीलदार तालेड़ा जिला बून्दी (राज०)

.....अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ताप्रार्थी:- श्री नन्द सिंह सोलंकी

अधिवक्ता अप्रार्थीगण:-

- :: निर्णय :: -

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 136 भू-राजस्व अधिनियम

संक्षेप में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किये कि:-

1. यह कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 269/207 रकबा 1.6187 हैक्टेयर वाके ग्राम बालापुра तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान मे विस्थित है। उक्त कृषि भूमि के पश्चिम दिशा मे कृषि भूमि खसरा संख्या 268/207 स्थित है तथा उपरोक्त अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम हो रही थी।
2. यह कि वर्तमान समय मे तालेड़ा के खातेदारी भूमियों के रकबे व खसरा, नक्शा ट्रेस के तरमीम बीघा बिस्वा से हैक्टेयर मे परिवर्तन करते हुये राजस्व रिकार्ड के पुनरिक्षण प्रविष्टियों व कम्प्यूटरीकृत ऑनलाईन इन्द्राज का कार्य चल रहा है जो लगभग पूर्ण हो चुका है।
3. यह कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित कृषि भूमि के नक्शा ट्रेस की ऑनलाईन कम्प्यूटरीकृत प्रतिलिपी प्राप्त की जिसमें प्रार्थी की कृषि भूमि को राजस्व नक्शे मे पूर्व नक्शे अनुसार तरमीम नही कर राजस्व नक्शे मे जहां पश्चिम दिशा मे कृषि भूमि खसरा संख्या 268/207 दर्ज कर दी है। उक्त त्रुटि पूर्ण तरमीम कम्प्यूटर लिपिक के द्वारा सहवन से कर दी गई है। इस प्रकार प्रार्थी की भूमि के राजस्व नक्शे मे कृषि भूमियों की अदला-बदली कर तरमीम कर अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थी के अधिकारों को प्रभावित किया गया है।
4. यह कि तहसीलदार तालेड़ा ने दिनांक 04/06/2020 को प्रार्थी का उक्त इन्द्राज दुरुस्ती का आवेदन पत्र लेने से इंकार कर दिया तथा मौखिक रूप से न्यायालय श्रीमान के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की सलाह दी इस कारण प्रार्थी श्रीमान के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है।
5. यह कि प्रार्थी को अधिकार है कि मानवीय न्यायालय से प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि भूमि के इन्द्राज को पूर्व नक्शे के अनुसार एवं मौका स्थित के अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम का इन्द्राज दुरुस्त करावे।
6. यह कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि भूमि वाके ग्राम बालापुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान मे स्थित होने के कारण माननीय न्यायालय को उक्त वाद पत्र को सुनने का अधिकार प्राप्त है।
अतः श्री मान से प्रार्थना है कि प्रार्थी पत्र बाबत इन्द्राज दुरुस्ती स्वीकार फरमाकर तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जावे कि वर्तमान राजस्व नक्शे मे कृषि खसरा संख्या 268/207 के स्थान पर कृषि भूमि खसरा संख्या 269/207 रकबा 1.6187 हैक्टेयर वाके ग्राम बालापुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी अंकित कर राजस्व नक्शे मे तरमीम कर इन्द्राज दुरुस्त करें।



उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी


प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी परोकार सरकार की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण सं० 1 लगा० 3 स्वीकार है। च०स० 4 अस्वीकार है। च०स० 5 लगा० 7 कानूनी है। प्रार्थना प्रार्थी स्वीकार

साक्ष्य में प्रार्थी की और नकल जमाबन्दी खाता सं० 47 ग्राम बालापुра संवत् 2076, पटवार मण्डल कथूदा पटवारी रिपोर्ट, प्रस्तावित नक्शा ग्राम बालापुरा, वर्तमान नक्शा ट्रेस ग्राम बालापुरा, पूर्व नक्शा ट्रेस ग्राम बालापुरा, स्वयं का शपथ-पत्र पीडब्ल्यू-1 की प्रतियाँ पेश।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी खाता सं० 47 ग्राम बालापुरा संवत् 2076 एवं पूर्व का नक्शा ट्रेस व वर्तमान तरमीम शुद्धा नक्शा ट्रेस व अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वर्तमान राजस्व नक्शे में कृषि भूमि ख० सं० 269/207 वाके ग्राम बालापुरा के स्थान पर ख०सं० 268/207 वाके ग्राम बालापुरा अंकित होना पाया गया है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेश दिया जाता है कि वर्तमान राजस्व नक्शे में कृषि भूमि ख०सं० 268/207 वाके ग्राम बालापुरा के स्थान पर कृषि भूमि ख० सं० 269/207 रकबा 1.6187 हे० वाके ग्राम बालापुरा अंकित किया जाकर इन्द्राज दुरुस्त किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 06.01.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।




(कमल कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा तालेडा नदी